न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः आशाराम डूडी, आर.ए.एस.)

अपीलार्थी

श्रीमती चौथीदेवी पत्नि खेतारामजी, जाति- माली, निवासी- सिरोही, तह. व जिला-सिरोही

बनाम

प्रत्यर्थी

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही, जिला- सिरोही

राजस्व अपील संख्याः 24/2018

''अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भूराजस्व अधिनियम, 1956''

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री ऋषि माथुर, अपीलार्थी की ओर से
2. पेरोकार सरकार, प्रत्यर्थी की ओर से

-: निर्णय :- **दिनांक 08 जनवरी, 2019**

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। अपीलार्थी की ओर से यह अपील तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्याः 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.2.2018 बाबत ग्राम सिरोही, पटवार हल्का सिरोही प्रथम के खसरा संख्या 1218 रकबा 0.4900 हेक्टेयर किस्म बारानी-I भूमि का अपीलार्थी को पश्चातवर्ती अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके से बेदखल करने, खडी फसल को कब्जे सरकार लेकर नीलाम करने, जुर्माना आरोपित करने एवं तीन माह की सिविल कारावास की सजा के आदेश से व्यथित होकर प्रत्यर्थी के विरुद्ध पेश की गई है।

(2) प्रस्तुत अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी को सम्मन जारी किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। प्रत्यर्थी की ओर से अपील की सुनवाई के दौरान पेरोकार सरकार द्वारा उपस्थिति दी गई।

(3) उभय पक्ष की बहस सुनी गई। अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थी को विवादित भूमि का पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानने में कानूनन भूल की गई है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पारित करने से पूर्व अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नही किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि के मौके से पूर्व में अपीलार्थी को कभी भी भौतिक रुप से बेदखल नही किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नही किया कि विवादित भूमि पर अपीलार्थी का गत 55 वर्षो से कब्जा-काश्त लगातार चला आ रहा है। यह कि अपीलार्थी का विवादित भूमि व खसरा संख्या 1218 की भूमि पर पुराना कब्जा-काश्त होने से अपीलार्थी ने अपने कब्जे के आधार पर सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में धारा 88 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत खातेदारी घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु प्रत्यर्थी के विरुद्ध एक वाद प्रस्तुत किया है जो राजस्व वाद संख्या 05/2014 चौथीदेवी बनाम

.....पेज दो पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर सिरोही (राज.)

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सिरोही सहायक कलेक्टर, सिरोही के न्यायालय में विचाराधीन है। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व में वर्ष 2011 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही अमल में लाई जाकर प्रकरण संख्या 118/2011 में दिनांक 13.10.2011 के द्वारा निर्णय पारित कर अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित किया गया था, जिसके विरुद्ध अपीलार्थी ने माननीय राजसव अपील अधिकारी, पाली कैम्प सिरोही के न्यायालय में राजस्व भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है, उक्त अपील संख्या 01/2012 में माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली कैम्प सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के द्वारा सिविल कारावास की सजा को आगामी तारीख पेशी 09.1.2019 तक स्थगित रखा गया है। यह कि विवादित भूमि के संबंध में पूर्व से ही माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली में द्वितीय अपील विचाराधीन रहते हुए अपीलार्थी के विरुद्ध पुनः विवादित भूमि के संबंध में धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत कार्यवाही कानूनन अमल में नही लाई जा सकती है। यह कि अपीलार्थी वृद्ध महिला है तथा रोग ग्रसित है, इसलिये अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित को आदेश को निरस्त किया जावे। जबकि विद्वान पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि हल्का पटवारी, सिरोही प्रथम द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थी के विरुद्ध खसरा संख्या 1218 रकबा 0.49 हेक्टेयर भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत नियमानुसार प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए बाद जांच विधि सम्मत निर्णय पारित किया गया है, इसलिये अपीलार्थी की अपील को खारिज किया जावे।

(4) उभय पक्ष की सुनी गई बहस पर मनन किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया तो यह पाया गया कि हल्का पटवारी, सिरोही-1 द्वारा संवत 2074 में अपीलार्थी के विरुद्ध ग्राम सिरोही के खसरा संख्या 1218 रकबा 0.49000 किस्म बारानी-I भूमि पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण करने बाबत रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही में प्रस्तुत करने पर अपीलार्थी के विरुद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया जाकर अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया। जिस पर अपीलार्थी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय में अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुये व अपीलार्थी की ओर से लिखित जवाब प्रस्तुत किया, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में बहस हेतु नियत दिनांक 01.2.2018 को अपीलार्थी के अधिवक्ता उपस्थित नही हुये।

प्रकरण में अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी पाया गया कि तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 118/2011 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2011 के विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय राजस्व अपील अधिकारी, पाली कैम्प सिरोही के न्यायलय में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के तहत प्रत्यर्थी के विरुद्ध द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त अपील संख्या 01/2012 में

...पेज तीन पर

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली कैम्प सिरोही द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.1.2012 के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण संख्या 118/2011 में पारित निर्णय दिनांक 13.10.2011 के द्वारा अपीलार्थी को दी गई सिविल कारावास की सजा को आगामी तारीख पेशी 07.2.2012 तक स्थगित रखा गया। माननीय न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, पाली कैम्प सिरोही द्वारा उक्त अपील संख्या 01/2012 में पारित आदेश दिनांक 08.10.2018 के अनुसार उक्त स्थगन आदेश की अवधि को आगामी तारीख पेशी 09.1.2019 तक बढाया गया है। अपीलार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन के अनुसार यह भी स्पष्ट है कि अपीलार्थी बीमार है एवं वृद्ध महिला है।

अतः अपीलार्थी के प्रति नरमाई का रुख अपनाते हुए अपीलार्थी की अपील आंशिक रुप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, सिरोही द्वारा प्रकरण संख्या 03/2018 में पारित निर्णय दिनांक 01.2.2018 के द्वारा अपीलार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने, मौके पर खडी फसल कब्जे सरकार लेकर नीलाम करने व जुर्माना आरोपित करने के आदेश को यथावत रखते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलार्थी के विरुद्ध सिविल कारावास की सजा के पारित आदेश को निरस्त किया जाता है। निर्णय सुनाया गया।

(आशाराम डूडी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सिरोही